

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं० सं०-एस०आई०पी०बी० 201700100-
सेवा में,

दिनांक- मार्च, 2018

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय- मे० आम्रपाली सिलेण्डर्स प्रा० लि० द्वारा गिद्धा, औद्योगिक क्षेत्र, आरा, भोजपुर में 540000 अदद प्रतिवर्ष क्षमता का एल०पी०जी० बौटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु भूखण्ड के लीज/ विक्रय डीड निबंधन में निबंधन शुल्क, स्टाम्प डियूटी एवं भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में व्यय किए गए राशि रू० 6,10,340.00 (छः लाख दस हजार तीन सौ चालीस) रूपए की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे० आम्रपाली सिलेण्डर्स प्रा० लि० द्वारा गिद्धा, औद्योगिक क्षेत्र, आरा, भोजपुर में 540000 अदद प्रतिवर्ष क्षमता का एल०पी०जी० बौटलिंग प्लांट की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में दिनांक 13.01.2017 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद की बैठक में स्टेज-1 का तथा दिनांक 04.09.2017 को सम्पन्न राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 6 (2) (घ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई सामान्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक एस०आई०पी०बी००2017000100/705 दिनांक 22.12.2017 द्वारा श्री संजीत कुमार, सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मिथिलेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर से उक्त ईकाई का संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 06.08.2017 से उत्पादनरत बताया गया है, अतः ईकाई अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मे० आम्रपाली सिलेण्डर्स प्रा० लि० द्वारा गिद्धा, औद्योगिक क्षेत्र, आरा, भोजपुर में 540000 अदद प्रतिवर्ष क्षमता का एल०पी०जी० बौटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु भूखण्ड के लीज/ विक्रय डीड निबंधन में निबंधन शुल्क, स्टाम्प डियूटी एवं भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में व्यय किए गए राशि रू० 6,10,340.00 (छः लाख दस हजार तीन सौ चालीस) रूपए की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी। ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(iv) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ-2

4. उक्त राशि का व्यय वहन "स्वीकृतादेश सं०-1014, दिनांक-14.03.18 एवं सहपठित पत्रांक-1028, दिनांक-15.03.2018 एवं आवंटनादेश सं०-138/आ०, दिनांक-15.03.2018 एवं सहपठित पत्रांक-140, दिनांक-19.03.18 के आलोक में मांग संख्या- 23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2852- उद्योग, उप मुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष- 0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0160.33 01 सक्सिडी में वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित आवंटित राशि से की जाएगी।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि का भुगतान मे० आग्रपाली सिलेण्डर्स प्रा० लि० गिद्धा, औद्योगिक क्षेत्र, आरा, भोजपुर को उनके J&K Bank, Patna खाता सं०- 0324020100000253, IFSC Code-JAKA0SHARIF में RTGS/Bank Draft के माध्यम से की जाएगी।
8. उक्त राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म सं०-25 पर की जाएगी
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक- मार्च, 2018

ज्ञापांक -एस०आई०पी०बी० 201700100-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक- मार्च, 2018

ज्ञापांक -एस०आई०पी०बी० 201700100-

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक- 23 मार्च, 2018

ज्ञापांक -एस०आई०पी०बी० 201700100-

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-1 (सरकार) / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, मे० आग्रपाली सिलेण्डर्स प्रा० लि० गिद्धा, औद्योगिक क्षेत्र, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।